स्पीड पोस्ट

संख्या

एचपी / एसआरएम / एलएसटी-16

100 ओल्ड नेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) दिनांक: 10.04.2015

सेवा में :

मै० गुप्ता एसोसियट्स, गांव एवं पो०ऑ०-ददाह् तहसील - श्री रेनुकाजी, जिला-सिरमौर (हि0प्र0)

विषय

हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित आपकी हिमालया चूना पत्थर खान पर खनिज संरक्षण

एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित नियमो का उल्लंघन।

महोदय,

इस कार्यालय के श्री एस0 सकलानी, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा श्री तुली, खान सुपरवाइजर, की उपस्थिति में दिनांक 14.03.2015 को आपकी उपरोक्त वर्णित खान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंधन पाया गया:--

RULE NO.

NATURE OF VIOLATION OBSERVED

24(1): Notice of temporary discontinuance have not been received.

45(1)(a): Monthly returns for the year 2013-14 & 2014-15 (upto February) have not been received.

45(1) (c): Annual return for the year 2013-14 has not been submitted

In this connection, it is brought to your notice that the above violations constitute an offence 02. punishable under Rule 58 of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.

The mining operations can be suspended under Rule 13(2), if compliance of rule 12(3) is not 03.

found satisfactory.

You are advised to rectify the above violations immediately and intimate the position to this 04. office within 45(Forty Five) days from the date of issue of this letter.

00 TOTA

र्कि० एस० यादव) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. खान नियंत्रक (उत्तर),भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।

2. राज्य भूवैगानिक, उद्योग निदेशालय, हि.प्र.सरकार, शिमला

के0 एस0 यादव) क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो